Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमंखी,पूर्णिया बिहार</u>

स्वत्व वाद संख्य-327/98

देव नन्दन राय बनाम उत्तम राय एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
15/12/23	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है।प्रतिवादिगण की कोई पैरवी नहीं है| यह बाद वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता की अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08/11/2023 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया कि वादी के द्वारा वाद पत्र के पृष्ठ 8 के द्वितीय पंक्ति मे property शब्द के बाद एवम may शब्द के पुर्व “detailed in schedule A and schedule c जोड़ा जाना आवश्यक है |इसी प्रकार पृष्ठ 9 के अनुसूची A के खाता सं.86 के प्लाट 1023 का रकबा 33 के स्थान पे 23 जोड़ा जाना आवश्यक है , इसी प्रकार पृष्ठ 11 के अनुसूची B का खाता 90 का प्लाट 1079,1080,1081,1082 का कुल रकबा .72 acre, खाता 91 का प्लाट 1402,1403,1470,1471,1472,1473 का कुल रकबा .67 1/2 acre, खाता 89 का प्लाट 1076,1077,1078,का कुल रकबा .47 acre एवम खाता 6 का प्लाट 560का रकबा .50 acre को विलोपित किया जाना आवश्यक है | अत: निवेदन है की संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय | प्रतिवादी गण के द्वारा ना तो प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया और ना हीमौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया | अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा चाहा गया संशोधन सामान्य प्रकृति का है और उससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हुआ प्रतीत होता है अतः न्यायहित में वादी के उक्त आवेदक को स्वीकृत कर आदेश की तिथि से 14 दिन के भीतर संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।वाद आगामी दिनांक 15/01/23 साक्ष्य हेतु नियत| लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमंखी पूर्णिया ,बिहार	